

कार्यालय-कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा

पत्रांक:-कृ0उ0म0स0/एटा/स0प0/2026-72

दिनांक:- 12.05.2026

सफाई कार्य हेतु अल्प कालीन निविदा सूचना

समिति पत्रांक 03 दिनांक 02.04.2026 द्वारा आमंत्रित ई-निविदाएँ अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है तथा नवीन मण्डी स्थल, एटा के गल्ला प्रखण्ड, लहसुन प्रखण्ड एवं फल-सब्जी प्रखण्ड आदि के सफाई कार्यों हेतु अनुभवी सफाई ठेकेदारों से पुनः ऑनलाइन निविदा आमन्त्रित की जाती हैं।

क्र०सं०	मण्डी समिति का नाम	सफाई कार्यों के स्थान	वार्षिक अनुमानित लागत (18 % जी.एस. टी. सहित)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (18 % जी. एस.टी. सहित)	कार्य की अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27)
1.	नवीन मण्डी स्थल, एटा	गल्ला प्रखण्ड, कर्मचारी आवासीय कालोनी, निर्माण कार्यालय एवं आन्तरिक सम्पर्क मार्ग आदि	2148072.00	200000.00	1180.00	कार्य प्रारम्भ होने से वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात् 31 मार्च तक
2.	नवीन मण्डी स्थल, एटा	सब्जी प्रखण्ड, सचिव आवास, अतिथि निवास/परिसर एवं आन्तरिक सम्पर्क मार्ग	1103064.00	110000.00	1180.00	
3.	नवीन मण्डी स्थल, एटा	लहसुन प्रखण्ड, प्रशासनिक भवन परिसर एवं आन्तरिक सम्पर्क मार्ग आदि	1271568.00	120000.00	1180.00	


विशेष:-

- क्रमांक 01, 02 एवं 03 में वर्णित सफाई कार्यों हेतु पृथक-पृथक टेण्डर डाले जायेंगे।
- समिति पत्रांक 03 दिनांक 02.04.2026 के क्रम में जिन टेण्डरदाताओं द्वारा ई-निविदाएँ डालीं गयीं थीं उनकी निविदा मूल्य न तो समायोजित किया जायेगा और न ही वापिस किया जायेगा केवल धरोहर राशि वापिस की जायेगी।
- बिड डाक्यूमेण्ट <https://www.etender.up.nic.in> पर दिनांक 13.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 29.05.2026 को सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। निविदा (बिड) ऑनलाइन <https://www.etender.up.nic.in> पर ही समबिट की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा धनराशि रू० 1000.00, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, एटा में संचालित समिति के खाता संख्या 30386331008 में, निविदा धनराशि की जी०एस०टी० रू० 180.00 खाता संख्या 30386330967 में तथा निर्धारित धरोहर राशि खाता संख्या 30386330967, IFSC CODE-SBIN000635 में NEFT/RTGS के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करनी होगी एवं उसकी रसीद/यू.टी.आर. नम्बर साक्ष्य हेतु निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- ई-निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 30.05.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे कार्यालय-कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा में खोली जायेगी।



सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी



सभापति

समिति, एटा

पत्रांक एवं दिनांक- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- संभा० उपनिदेशक (प्रशा०/विप०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, अलीगढ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री बृजमोहन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मण्डी समिति, एटा को इस निर्देश के साथ कि <https://www.etender.upnic.in> पर निविदा अपलोड करना सुनिश्चित करें
- सम्पादक, दैनिक जागरण, एटा एवं हिन्दुस्तान, एटा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को मुख्य पृष्ठ को छोड़कर कम से कम स्थान में राजकीय दरों पर एक दिन प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- कार्यालय, मण्डी समिति, एटा, कलैक्ट्रेट, तहसील सदर, नगर पालिका/नगर पंचायत, विकास भवन एटा के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।



सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी समिति,

एटा





कार्यालय-कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा
नवीन मण्डी स्थल, एटा के सब्जी प्रखण्ड, सचिव आवास, अतिथि निवास/परिसर
सम्पर्क मार्ग आदि की सफाई ठेका हेतु निविदा प्रपत्र
(ठेके की वार्षिक लागत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित रू0 110300000/-)

1. आवेदक फर्म का नाम-
2. आवेदक फर्म का पूर्ण पता
3. मोबाईल नं0/दूरभाष नं0 ई-मेल.....
4. निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर राशि के भुगतान का साक्ष्य-.....
5. पैन कार्ड-.....
6. आधार कार्ड-.....
7. सामान्य निवास प्रमाण-पत्र-.....
8. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध हैसियत प्रमाण-पत्र-.....
9. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र-.....
10. श्रम विभाग का पंजीयन संख्या (न्यूनतम 06 लेबर)-.....
11. सफाई हेतु लगाये जाने वाले न्यूनतम कार्मिकों की संख्या-.....
12. जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण-पत्र-.....
13. विगत निरन्तर तीन वर्षों का टर्नओवर-.....
14. तीन वर्षों का सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र-.....
15. काली सूची सम्बन्धी नोटेरियल शपथ-पत्र-
16. ट्रैक्टर की आर0सी0 एवं बीमा प्रमाण-पत्र-.....
17. क्या निविदादाता ट्रैक्टर का स्वामी है-.....
18. यदि निविदादाता ट्रैक्टर का स्वामी नहीं है तो रू0 100/- स्टाम्प पर अनुबन्ध प्रमाण पत्र-.....
19. EPF एवं ESIC के रजिस्ट्रेशन की प्रति-.....

प्रमाण/घोषणा पत्र

20. सफाई ठेके से सम्बन्धित समिति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा पढ़ व समझ ली गई हैं और मेरे/हमारे द्वारा सफाई कार्य के स्थानों व अन्य का भ्रमण कर लिया गया है। मैं/हम निर्धारित सफाई स्थल एवं अन्य का सफाई कार्य समिति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें के अनुरूप करने को तैयार हूँ/हैं।

हस्ताक्षर.....

नाम-.....

पूरा पता

मोबा.नं.

**कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा के सब्जी प्रखण्ड, सचिव आवास, अतिथि निवास/
परिसर एवं आन्तरिक मार्ग आदि की सफाई कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में
ढेका/ढेण्डर के लिए नियम एवं शर्तें**

(अवधि- कार्य प्रारम्भ होने से उस वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात् 31 मार्च तक)
(ढेके की वार्षिक लागत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित रू0 1103064.00 है)

1. निविदादाता को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं-
 - i. निर्धारित निविदा मूल्य रू0 1000 (निविदा मूल्य)+180 (GST)=1180.00 एवं धरोहर राशि रू0 110000.00 का समिति खातों में ऑनलाईन भुगतान का साक्ष्य।

भुगतान हेतु खातों का विवरण

मांक	भुगतान हेतु मद	समिति खाते का नाम	समिति खाता संख्या	IFSC CODE
1.	निविदा मूल्य (रू0 1000.00)	APMC Etah	30386331008	SBIN0000635
2.	निविदा मूल्य की जी0एस0टी0 (रू0 180.00)	APMC Etah	30386330967	SBIN0000635
3.	धरोहर राशि (रू0 110000.00)	APMC Etah	30386330967	SBIN0000635

- ii. निविदादाता का स्व प्रमाणित पैन कार्ड।
- iii. निविदादाता का स्व प्रमाणित आधार कार्ड।
- iv. निविदादाता का स्व प्रमाणित सामान्य निवास प्रमाण-पत्र।
- v. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध हैसियत प्रमाण-पत्र, स्व प्रमाणित।
- vi. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध अवधि का चरित्र प्रमाण-पत्र, स्व प्रमाणित।
- vii. श्रम विभाग पंजीयन का स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र। (न्यूनतम 06 लेबर)।
- viii. जी0एस0टी0 पंजीयन का स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र।
- ix. विगत निरन्तर तीन वर्षों का टर्न ओवर। (टर्न-ओवर प्रमाण पत्र का पर UDIN नम्बर होना अनिवार्य होगा और अगर UDIN नम्बर नहीं है उस दशा में सम्बन्धित वर्ष का Income Tax Return अपलोड करें।)
- x. तीन वर्षों का सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।
- xi. निविदादाता व्यक्ति/फर्म आदि को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्था/केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग/राज्य सरकार के स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में से किसी भी के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो से सम्बन्धित नोटेरियल शपथ-पत्र।
- xii. सफाई कार्य में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर की आर0सी0 एवं वैध बीमा की प्रति।
- xiii. निविदादाता यदि ट्रैक्टर का स्वामी नहीं है तो रू0 100/- के स्टाम्प पर ट्रैक्टर स्वामी के साथ नोटेरियल अनुबन्ध शपथ-पत्र।
- xiv. EPF एवं ESIC के रजिस्ट्रेशन की स्व प्रमाणित छायाप्रति।

नोट- अपलोड किये जाने वाले सभी प्रपत्र पठनीय होने चाहिए। प्रपत्र अपठनीय होने की दशा में निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति/स्वीकृतकर्ता को होगा।
3. एक व्यक्ति द्वारा एक ही मण्डी स्थल की सफाई के लिए एक ही ढेण्डर दिया जायेगा/स्वीकार किया जायेगा।
4. ढेकेदार को निर्धारित संख्या में सफाई श्रमिक कार्य पर लगाने होंगे जिसमें से कोई अल्पवयस्क तथा बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए साथ ही सफाई व्यवस्था में प्रयोग होने वाले यंत्र जैसे झाड़ू, ठेला, फावड़ा, डलिया, ब्लीचिंग पाउडर, चूना एवं सफाई में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री की व्यवस्था करनी होगी।

क्रमशः-2

5. मण्डी स्थल में लगाये गये सफाई श्रमिकों से सम्बन्धित समस्त प्रकार की देयता का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
6. ठेकेदार को आंतरिक सड़कों, खुले स्थान, नीलामी चबूतरों तथा व्यापारिक दुकानों के सामने पड़े कूड़े, शेडों व पीछे पड़े खाली स्थान कार्यालय, अतिथिगृह, चेकपोस्ट, अन्य निर्माण आवासीय भवन तथा क्रय-विक्रय में प्रयुक्त समस्त स्थान की दैनिक रूप से सफाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त नाली/नालों की भी माह में एक बार सफाई करनी होगी और एकत्रित कूड़े को मण्डी स्थल से बाहर उपयुक्त स्थान पर निस्तारित करना होगा।
7. मण्डी स्थल से सड़े-गले पदार्थों, मृत जानवरों का निस्तारण मण्डी स्थल से बाहर करना होगा।
8. मण्डी स्थल के अन्दर यदि सीवर लाईन पड़ी है, तो उसकी नियमित सफाई करनी होगी ताकि जल भराव न हो।
9. मण्डी परिसर के समस्त भवनों तथा दुकानों की छतों एवं डाउन पाईपों की सफाई दो बार (माह मई एवं माह नवम्बर) में अनिवार्य रूप से करनी होगी।
10. मण्डी स्थल में निर्मित शौचालयों/मूत्रालयों आदि की भी सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
11. दुकानों/टीन शैडों के आस-पास अनावश्यक खरपतवार/घास की सफाई/कटाई अनिवार्य रूप से करनी होगी।
12. सफाई करने का समय इस प्रकार निश्चित किया जाये कि व्यापारिक कार्य बाधित न हो और नियमित रूप से सफाई होती रहे।
13. मण्डी स्थल में वांछित स्थानों पर कीटनाशक दवाओं एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना होगा।
14. ठेकेदार को एक उपस्थिति पंजिका मण्डी समिति कार्यालय में रखना होगा, जिसमें सफाई कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिसकी जांच समय-समय पर सचिव, मण्डी समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
15. सफाई ठेके का भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा जिसमें सफाई निगरानी समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान जाना आवश्यक होगा। सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए व्यापारियों और कर्मचारियों की एक समिति-सफाई निगरानी समिति के नाम से बनायी जाएगी। जिसमें प्रत्येक सेक्टर का एक-एक व्यापारी और कर्मचारी होंगे। सफाई निगरानी समिति सफाई व्यवस्था का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेगी और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर लिखित सूचना संबन्धित मण्डी सचिव को देगी।
16. सफाई ठेके का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा जो सफाई निगरानी समिति की रिपोर्ट के अधीन होगा।
17. निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर सचिव द्वारा ठेकेदार के बिल से मजदूरी की कटौती करते हुए उसे नोटिस दिया जायेगा तथा नियमित तीन दिनों तक कम मजदूर लगाये जाने की स्थिति में सफाई समिति की संस्तुति पर कारण बताओ नोटिस देते हुए जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त सफाई सन्तोषजनक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी।
18. मण्डी स्थल में गन्दगी एवं आवारा पशुओं के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए उनकी चैक लिस्ट बनाकर नियमित रूप से निगरानी समिति द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा। रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
19. कार्य संतोषजनक न होने की दशा में जमानत राशि मण्डी समिति के पक्ष में जब्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।
20. ठेकेदार को लेकर सैस, विभागीय कर/आयकर एवं अन्य करों तथा शासकीय देयताओं का भुगतान करना होगा आशय यह है कि भुगतान करते समय समस्त प्रकार के करों की कटौती स्रोत पर करते हुए धनराशि उनके बिलों से काटकर सम्बन्धित विभाग में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

क्रमशः-3







21. समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन निविदादाता को करना होगा।
22. स्थल पर कार्य न होने की दशा में मासिक धनराशि से निम्नलिखित प्रकार से कटौती की जायेगी-
 - i. निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर कम मजदूरों की दैनिक मजदूरी का दोगुना।
 - ii. मुख्य व्यापार स्थल एवं सड़कों पर झाड़ू न लगना व कूड़ा निस्तारण न किये जाने पर दैनिक ठेका राशि का 1/6 भाग काट लिया जाएगा।
 - iii. सड़को, दुकानों व भवनों के मध्य खाली पड़े स्थनों पर झाड़ू न लगना व कूड़ा निस्तारण आज ही किया गया है या नहीं। सफाई न किये जाने पर दैनिक राशि का 1/6 भाग काट लिया जाएगा।
 - iv. मूत्रालय/शौचालय की सफाई आज ही की गयी है या नहीं। सफाई न किये जाने पर दैनिक राशि का 1/6 भाग काट लिया जाएगा।
 - v. नालियों की सफाई आज ही की गयी है या नहीं। दैनिक राशि का 1/6 भाग काट लिया जाएगा।
 - vi. बाऊड़ीवाल के आस-पास के क्षेत्र की सफाई सप्ताह में की गयी अथवा नहीं। सफाई न किये जाने पर दैनिक राशि का 1/6 भाग काट लिया जाएगा।
23. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये कर्मियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रत्येक दिन आने एवं जाते समय दर्ज करायी जायेगी। तदनुसार ठेकेदार/फर्म को भुगतान किया जायेगा।
24. सभी सफाई कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान उनके बचत खातों में ऑनलाइन ठेकेदार द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा पिछले माह का वेतन सभी कर्मचारियों के खातों में स्थानान्तरित किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ठेकेदार को अगले माह का सफाई का भुगतान किया जायेगा।
25. ठेकेदार द्वारा सभी सफाई कर्मचारियों के विगत माह का ईपीएफ/ईएसआई आदि की कटौतियों का साक्ष्य कार्यालय, मण्डी समिति में उपलब्ध कराने के बाद ही अग्रिम माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
26. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये सफाई कर्मियों को "न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित सभी संगत विधिक प्राविधानों" का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. सफाई कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार को आर्गेनिक, इन-आर्गेनिक एवं पालीथीन/प्लास्टिक तीनों प्रकार के अपशिष्टों का पृथक-पृथक रूप से एकत्रित करने के साथ-साथ आर्गेनिंग अपशिष्टों को बायो कम्पोस्टिंग के प्रयोग के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट/म्यूनिसिपल अपशिष्ट जनपद के प्रोसेसिंग प्लांट या स्थानीय निकाय अथवा जिला पंचायत द्वारा चिन्हित डम्पिंग ग्राण्ड पर निमयानुसार ले जाकर निस्तारण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं के वाहन आदि से करायी जायेगी।
28. मण्डी स्थलों में निर्मित कार्यालय भवनों एवं किसान विश्राम गृहों की सफाई करायी जायेगी।
29. सम्बन्धित ठेकेदार के प्रखण्ड में सफाई कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी क्षति पूर्ति समिति द्वारा नहीं की जायेगी बल्कि इसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
30. सफाई, उपनिदेशक (निर्माण), नवीन मण्डी स्थल, अलीगढ़ के कार्यालय पत्रांक नि0/मण्डी सफाई/2026-2766 दिनांक 09.03.2026 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार करानी होगी।
31. सफाई ठेके का भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा जिसमें सफाई निगरानी समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जाना आवश्यक होगा। सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए व्यापारियों और कर्मचारियों की एक समिति-सफाई निगरानी समिति के नाम से बनायी जाएगी। जिसमें प्रत्येक

क्रमशः-4

32. सेक्टर का एक-एक व्यापारी और कर्मचारी होंगे। सफाई निगरानी समिति सफाई व्यवस्था का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेगी और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर लिखित सूचना संबन्धित मण्डी सचिव को देगी।
33. निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर सचिव द्वारा ठेकेदार के बिल से मजदूरी की कटौती करते हुए उसे नोटिस दिया जायेगा तथा नियमित तीन दिनों तक कम मजदूर लगाये जाने की स्थिति में सफाई समिति की संस्तुति पर कारण बताओ नोटिस देते हुए जमानत धनराशि जब्ज कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त सफाई सन्तोषजनक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी।
34. नियमानुसार स्रोत पर कर कटौती किये जाने विषयक विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत आयकर एवं अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिल से की जाएगी तथा अन्य ऐसे कर, फीस या विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत जमा की जाने वाली धनराशि आदि जो निविदादाता द्वारा जमा की जानी हों, उन्हें निविदादाता द्वारा जमा किया जाएगा।
35. उपरोक्त सभी शर्तें मान्य होंगी जिनका अनुपालन न करने पर ठेका/अनुबन्ध स्वतः समाप्त माना जायेगा।


अरविन्द कुमार
मण्डी अधीक्षक


विवेक वर्मा
मण्डी निरीक्षक


सचिव
सभापति/अपर जिलाधिकारी(प्रशा०)
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा जनपद-एटा

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी पारसद, उ०प्र०,
नवीन मण्डी स्थल धनीपुर, अलीगढ़।

क्रांक: नि०/मण्डी सफाई/2026-27-66
सेवा में,
सचिव
मण्डी समिति
एटा।

दिनांक: ०९/०३/2026,

महोदय,
नवीन मण्डी स्थल अलीगढ़ एटा की सफाई व्यवस्था (वित्तीय वर्ष 2026-27) हेतु आगणन का विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	मद का विवरण	मात्रा
गल्ला मण्डी/		
1	दैनिक सफाई (अ) मण्डी स्थल/सभी निर्मित भवन मय निर्माण आफिस एवं पुलिस चौकी सहित) (ब) अप्रोच नाले की सफाई(माह में दो बार) (स) शौचालय/यूरिनल की सफाई (प्रतिदिन) (द) छतों की सफाई (वर्ष में दो बार) (य) अवांछित घास फूस एवं पेड़ों की कटाई-छटाई	9 सफाईकार प्रतिदिन 4 सफाईकार प्रतिमाह(माह में दो बार) 2 सफाईकार प्रतिदिन 15 सफाईकार वर्ष में दो बार 4 सफाईकार प्रतिमाह
2	(अ) चूना (ब) ब्लीचिंग पाउडर (स) फिनाइल, हार्पिक इत्यादि	8.00 कि०ग्रा० प्रतिदिन 2.00 कि०ग्राम प्रतिदिन 2.00 ली० प्रतिदिन
3	मण्डी स्थलों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण (मण्डी स्थल से बाहर 5.00 कि०मी० की दूरी तक)	5.00 घन मी० प्रतिदिन
लहसुन मण्डी		
1	दैनिक सफाई (अ) मण्डी स्थल/सभी निर्मित भवन/नाली (ब) शौचालय/यूरिनल की सफाई (स) अवांछित घास फूस एवं पेड़ों की कटाई-छटाई (द) छतों की सफाई	5 सफाईकार प्रतिदिन (अंश कालिक) 1 सफाईकार प्रतिदिन (अंश कालिक) 1 सफाईकार प्रतिदिन (पूर्ण कालिक) 3 सफाईकार वर्ष में दो बार (पूर्ण कालिक)
2	(अ) चूना (ब) ब्लीचिंग पाउडर (स) फिनाइल, हार्पिक इत्यादि	4.00 कि०ग्रा० प्रतिदिन 2.00 कि०ग्रा० प्रतिदिन 0.50 ली० प्रतिदिन
3	मण्डी स्थल से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण (मण्डी स्थल से बाहर 5.0 कि०मी० की दूरी तक)	3.00 घन मी० प्रतिदिन

क्रमशः

Mandi Estimate
26-27

अरवि-50 अ०
पजावत इत्यादि
नि० आ० आ० अ०

13/3/26
4/2/26


सब्जी मण्डी		
1	दैनिक सफाई (अ) मण्डी स्थल/सभी निर्मित भवन/नाली (ब) शौचालय/यूरिनल की सफाई (स) अवांछित घास फूस एवं पेड़ों की कटाई-छटाई (द) छतों की सफाई	4 सफाईकार प्रतिदिन (श्रम कायिक) 1 सफाईकार प्रतिदिन (श्रम कायिक) 1 सफाईकार प्रतिदिन (पूर्ण कायिक) 4 सफाईकार वर्ष में दो बार (पूर्ण कायिक)
2	(अ) चूना (ब) ब्लीचिंग पाउडर (स) फिनाइल, हार्पिक इत्यादि	4.00 किग्रा प्रतिदिन 2.00 किग्रा प्रतिदिन 0.50 लीटर प्रतिदिन
3	मण्डी स्थल से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण (मण्डी स्थल से बाहर 2.00 किमी की दूरी तक)	3.00 घन मीटर प्रतिदिन

उपरोक्तानुसार सफाई कार्य हेतु आवश्यक झाड़ू, कूड़ा-करकट इकट्ठा करने हेतु टांकरी, फावडा, बेलचा, पेड़ों को काटने छांटने हेतु औजार एवं कूड़े को मण्डी स्थल से बाहर ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। जिसके अनुसार सफाई व्यय प्रतिमाह निम्नानुसार आंकलित किया गया है-

1- गल्ला मण्डी	रु: 151700.00
2- सब्जी मण्डी	रु: 77900.00
3- लहसुन मण्डी	रु: 89800.00
योग -	रु: 319400.00

उपरोक्त आंकलित व्यय में जी०एस०टी० दर सम्मिलित नहीं है।

भवदीय


उपनिदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद अलीगढ़

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि- सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशा०/विप०) मण्डी परिषद अलीगढ़ को सूचनाार्थ प्रेषित।

उपनिदेशक (निर्माण)